L 385

झारखण्ड सरकार
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-53/2017-18/ 66 रा० (विभाग) मत्स्य, रॉंची, दिनांक 08/03/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉंची।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनांतर्गत मत्स्य विपणन योजना के तहत् बजट शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत उपबंधित राशि में से मो0 145.178 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख सतरह हजार आठ सौ) रू0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं0-49 रा0 (विभाग) दिनांक 04.12.2018 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं0 1607 दिनांक 04.12.2018 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत बजट शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय में उपबंधित कुल राशि मो0 150.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 145.178 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख सतरह हजार आठ सौ) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में दो खुदरा मछली बाजारों के निर्माण हेतु मत्स्य विपणन योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना की स्वीकृत राशि से दुमका एवं देवघर जिले में एक-एक अर्थात् कुल दो खुदरा मछली बाजार का निर्माण किया जायगा।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षो में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है :

(राशि लाख रू0 में)

मॉंग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष राशि	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53 S440500101620545	75.000	72.589	2.411	देवघर
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53 S440500796620545	75.000	72.589	2.411	दुमका
	योग :	150.00	145.178	4.822	

मो0 एक करोड़ पैंतालीस लाख सतरह हजार आठ सौ रु0 मात्र।

3845

3. खुदरा मछली बाजार निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नक्शा एवं प्राक्कलन के आलोक में प्रति बाजार निर्माण की इकाई लागत मो0 72,58,900/-रु0 है। योजना प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल संख्या-2, राँची द्वारा दिनांक 05.10.2018 को प्रदान की गई है तथा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या-2, राँची के पत्रांक 3058 (अनु0) दिनांक 05.10.2018 द्वारा संसूचित है।

4. उपर्युक्त कंडिका- 2 में अंकित विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य मद की बजट में उपबंधित राशि मो0 150.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 72.589 लाख रु0 मात्र की इकाई लागत से देवघर तथा दुमका जिले में नये मत्स्य बाजार के निर्माण हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं दुमका द्वारा संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता/अन्य सक्षम प्राधिकार को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

उल्लिखित दोनों निर्माण योजनाओं का कार्यान्वियन राज्य योजना - मत्स्य विपणन योजना से ही किया जाएगा तथा किसी अन्य योजना से इसका कार्यान्वियन नहीं किया जाएगा। स्थल संबंधी सभी अभिलेखीय कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी। निदेशक मत्स्य द्वारा राशि के उपावंटन देने में इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि सभी आवश्यक अभिलेखीय कार्रवाई करने के उपरान्त ही राशि का हस्तांतरण/उपावंटन किया जाएगा।

5. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं दुमका होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

6. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगें, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

7. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

8. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

10. यह पूर्णत: राज्य योजना है।

11. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत बजट मो0 600.00 लाख में से मो0 196.91 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

12. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है।

13. जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं दुमका द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर सम्पर्क में रहकर निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप पूर्ण करायेंगे।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

283

ज्ञापांक 66 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, देवघर एवं दुमका को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 66 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दुमका एवं देवघर तथा मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, दुमका/देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 66 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि : योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त तथा मत्स्य निदेशालय के अधीन सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, उप मत्स्य निदेशक एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 66 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08/3/19

सरकार के सचिव